में जारी हुए

श्री देवीलाल s/o तेजा रेगर v/s किशना s/o सवाईराम रेगर

18/3/2020 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उपस्थित जिन्होंने निवेदन
किया कि इस प्रकरण मे वर्णित पक्षकारो के मध्य
पूर्व मे [redacted] विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2013, 116/2010
मे निर्णय हो चुका है उसी आधार पर इस प्रकरण
का भी निस्तारण होना चाहिये. इस प्रकरण मे वादी
उन प्रकरणो मे प्रतिवादी था और प्रतिवादी को
भी मौका रिपोर्ट के आधार पर जिस भूमि पर
कब्जा था वह भूमि वादी देवीलाल की खातेदारी
घोषित की जा चुकी है. इस प्रकरण मे भी वादी
साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार हाल
राजस्व नक्शे मे तरमीमात कराने की सहायता चाही
गयी जो सहायता वादी को दी चुकी है।

अधिवक्ता के कथनानुसार इस न्यायालय से पूर्व
निर्णित प्रकरण संख्या 30/2013 का अवलोकन किया
तो पाया कि प्रकरण 30/2013 मे वादी प्रतिवादी क्रमांक
6 पर दर्ज है तथा उन दोनो प्रकरणो का निस्तारण
दिनांक 26.04.2011 को तैयार की गयी मौका रिपोर्ट
के आधार पर किया गया जिसमे वादी का कब्जा
आ.नं 4138 रकबा 0.35, आ.नं 4135/2 मेसे रकबा 0.3 है
आ.नं 4136 रकबा 0.19 है. आ.नं 4137/1 मेसे रकबा 0.100 पर
इस प्रकार वादी का कब्जा कुल 0.77 हैक्टर खातेदारी के
अनुसार है अतः प्रकरण संख्या 30/2013 से वादी को
सहायता दी जा चुकी है ऐसी स्थिति मे उक्त निर्णय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुसार इस प्रकरण का भी निस्तारण किया जाना उचित है, और उस निर्णय की प्रति इस प्रकरण में संलग्न की जानी उचित है तथा दि. 26.4.2011 की रिपोर्ट भी संलग्न की जावे।	
	अतः इस प्रकरण में वादी श्री देवीलाल पिता तेजा रेगर को इस न्यायालय से निर्णित प्रकरण संख्या 30/2013 से सहायता दी जा चुकी है उसी स्थिति में इस प्रकरण का निर्णय भी उसी अनुसार माना जावे, प्रकरण संख्या 30/2013 में हुए निर्णय की प्रति इसमें संलग्न की जावे. इसी स्तर पर इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही ड्राप की जाती है।	
	(सुन्दरलाल बम्बोड़ा) RAS सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)	

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा) राज0
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.30 15:29:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: